

भाग III

संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है

स्थल निरीक्षण / अनुशंसा

—000—

प्रकरण बोमल्या से सातग्वारी मार्ग प्रस्तावित एरिया 1.69 हे. (40 हे0 से कम होने के कारण) का होने से स्थल निरीक्षण नहीं किया गया।

प्रकरण पश्चिम छिंदवाड़ा वनमंडल अंतर्गत बोमल्या से सातग्वारी, मार्ग लंबाई 2.42 कि०मी० के एक रेखण में आने वाली वनभूमि में मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित एरिया 1.69 हे.का आवेदक कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग(भ/स) संभाग छिंदवाड़ा का प्रकरण वनमंडलाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार पेंच-सतपुड़ा टाईगर रिजर्व कॉरीडोर से लगा होने के कारण प्रकरण में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड एवं राष्ट्रीय वन्य प्राणी बोर्ड से अनुमति लिया जाना आवश्यक है। राज्य वन्य प्राणी बोर्ड से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के निमित्त प्रावधानों के तहत अनुशंसा की जाती है।

वनसंरक्षक

छिंदवाड़ा वनवृत्त

छिंदवाड़ा